

—: न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद जिला अजमेर :-

पीठासीन अधिकारी :- देवीलाल यादव, (आर.ए.एस.)  
प्रकरण संख्या :- 55/2019

उनवान

रतनलाल पुत्र हाबू जाति रेगर निवासी ग्राम चाट, नसीराबाद  
— वादी :- जरियें अधिवक्ता श्री सीताराम रावत  
बनाम

1. मदनलाल पुत्र हाबू
  2. पूसा,
  3. सीता,
  4. संपति पि. हाबू जाति रेगर नि. चाट नसीराबाद,
  5. राज0 सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद,
  6. मैनेजर भीलवाडा अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक शाखा लोहरवाडा
- प्रतिवादीगण :- 1 से 4 व 6 अनुपस्थित, 5 जरियें राज. पैरोकार

वाद पत्र अन्तर्गत धारा 88, 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1956 व धारा 136 भू  
राजस्व अधिनियम 1956

—: निर्णय :-

दिनांक :- 18.8.25



अधिवक्ता वादी ने उक्त आवेदन पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम चाट के खाता संख्या 106/103 किता 4 रकबा 1.00, 60/61 किता 4 रकबा 2.02 व 152/133 किता 2 रकबा 0.51 की आराजी वादी व प्रतिवादीगण की संयुक्त खातेदारी / काश्तकारी की है। खाता संख्या 60/61 की आराजी पर वादी का नाम रतनलाल के स्थान पर ताराचन्द, खाता संख्या 106/103 व 152/133 में रतनलाल के स्थान पर रामरतन गलत व त्रुटिपूर्ण तरीके से अंकित कर दिया है। रामरतन व ताराचन्द नाम का हाबू के कोई पुत्र नहीं है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, राशन कार्ड, सरपंच का शजरा प्रमाण पत्र, अंकतालिका, जाति प्रमाण पत्र से भी उक्त तथ्य सिद्ध होता है। उपरोक्त त्रुटि राजस्व अभिलेख में सहवन से हुयी है। उक्त त्रुटि दुरुस्त नहीं होने से नाना किस्म के विवाद उत्पन्न होने की संभावना है। अतः आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम रतनलाल दर्ज करने के आदेश पारित करावे। इस आशय की आज्ञा बहक वादी जारी की जावे। वाद पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरियें नोटिस तलब किया गया। प्रतिवादी संख्या 1 से 4 व 6 बावजूद तामीली अनुपस्थित रहें राज. पैरोकार ने जवाब नहीं पेश करना जाहिर किया।

प्रकरण में खण्डन नहीं होने के कारण तनकी कायम नहीं की गयी।

अधिवक्ता वादीगण ने वाद के समर्थन में राजस्व अभिलेख व वादी के पहचान दस्तावेज पेश किये व साक्ष्य नहीं पेश करना जाहिर किया।  
बहस उभयपक्ष सुनी गयी।



पत्रावली का अवलोकन किया। विद्वान अधिवक्ता वादीगण व राज.पैरोकार की बहस पर मनन किया। ग्राम चाट की आराजी मुतनाजा खाता संख्या खाता संख्या 60/61 की आराजी पर वादी का नाम ताराचन्द, खाता संख्या 106/103 व 152/133 में रामरतन अंकित है। वादी आराजी मुतनाजा पर ताराचन्द व रामरतन के स्थान पर रतनलाल अंकित करवाना चाहता है। वादी का कथन है कि आराजी मुतनाजा पर वादी का नाम त्रुटिपूर्ण अंकित कर दिया है। वादी द्वारा प्रस्तुत आधार कार्ड, पहचान पत्र, सरपंच का शजरा प्रमाण पत्र में वादी का नाम रामरतन ही अंकित हैं। किन्तु वादी को अपने कथन सिद्ध करने हेतु ऐसे दस्तावेज पेश करने थे जिनके द्वारा सिद्ध हो सके कि आराजी मुतनाजा वादी की पुश्तैनी है तथा पूर्व राजस्व अभिलेख में किस नामानतकरण अथवा इन्द्राज से वादी का नाम ताराचन्द व रामरतन अंकित कर दिया है। पूर्व राजस्व अभिलेख के अभाव में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज के आधार पर वर्तमान इन्द्राज त्रुटिपूर्ण सिद्ध नहीं होता हैं। वादी ने वाद पत्र में अंकित कथनों को सिद्ध करने के लिये कोई ठोस साक्ष्य व दस्तावेज पेश नहीं किये है। अतः वादी इन्द्राज दुरुस्ती का अधिकारी नहीं है।

उक्तानुसार ग्राम चाट के खाता संख्या 106/103 किता 4 रकबा 1.00, 60/61 किता 4 रकबा 2.02 व 152/133 किता 2 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे। इस आशय की पर्चा डिकी जारी हो।

निर्णय सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद



डिक्री व मुकदमें इबाई  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद

उनवान

रतनलाल बनाम मदनलाल


दावा बाबत :- 88, 188 राज. का. अधि० 1955 व धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

राजस्व मुकदमा नम्बर - 55/2019

पेश करने की दिनांक - 03.06.2019

यह मुकदमा आज वास्ते इनफिनाल कतई रुबरू देवीलाल यादव (आर. ए. एस)-व हाजिर अभिभाषक सीताराम रावत मुद्दई राज० पैरोकार अभिभाषक मिनजामिन मुदायला पेश हो कर दिया जाता है व डिक्री दी जाती है कि :-


ग्राम चाट के खाता संख्या 106/103 किता 4 रकबा 1.00, 60/61 किता 4 रकबा 2.02 व 152/133 किता 2 रकबा 0.51 की आराजी पर वादी का वाद "खारिज" किया जाता है। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

खर्चा इस मुकदमें में मय सूद व शरह तक \_\_\_\_\_ को सालाना आज की तारीख से यानि वसूली तक को अदा करे।  
बअखत दस्तखत व मोहर अदालत के आज दिनांक 18 माह 8 सन् 2025 को जारी की गयी।

मुद्दई	मुदायला
स्टाम्प अरजी दावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत मेहनताना वकील फीस कमिश्नर खर्चा गवाहान बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अरजी मेहनताना वकील खर्चा गवाहान फीस कमिश्नर बाबत् इजराय हुक्मनामा मुतफरिक
मिजान	मिजान



  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद